

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय


अहमदाबाद
ता. 10/07/19

जो शामिल पत्रावली किया गया। बाकी
पेश होने वसीयत लेख, मृत्यु उपाण
पत्र मिलने दिनांक 25/07/19 को पेश
हो।

25/07/19

वकील वादी उप०। पूर्व में वकील
वादी द्वाारा दस्तावेज (वसीयत लेख,
स्मृति लेख, मृत्यु उपाण पत्र पेश
किये जो अभिलेख पर लिखे जाते
हैं। वकील वादी ने मुताबिक
राजिनामा दावा डिक्री किया जाने
का विवेक किया।


पत्रावली, पत्रावली पर
उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड, पेशशुदा राजी-
नामा, दस्तावेज का अक्लोनन किया
गया जिनके अक्लोनन से वादी का
वाद स्वीकार किया जाते योग्य पत्र
जाने पर व्यापक में स्वीकार
किया जाता है तथा घोषणा इस
आशय की जारी की जाती है
कि :-



उद्देश

तन ग्राम हमीपुरा कला पटवार
हल्का समरपुरा तहसील खण्डेला अखिल
कृषि मूले ख. नं० 581 कच्चा 1.21 हे.

में
ना
क
ज
क
ज
व
३
६
१०

तारीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>में मृतका धापली के मां मांराज के नाम दर्ज हिस्सा 120/121 का बादी को छातेदा काशतका घोषित किया जाकर उक्त हिस्से से मृतका धापली के मांराज का नाम हटाया किया जाता है। तहसीलदा के अंतर्गत वर्णित ग्राम पर जमा योग्य राजस्व शुल्क/हक त्याग शुल्क राजकोष में जमा ली जाकर उक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में उमल कम दर्ज किया जाता सुनिश्चित करें। तदनुसार पत्रावली जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुभ होकर नम्बर से कम हो तथा कोद तलमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">25/07/19</p> <p style="text-align: center;">सहायक जज (फ़ैसल) कडेला</p>	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाळा दीवानी)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम खण्डेला

श्री महीपाल सिंह, RAS

बनाम श्री. साहेबलाल * बनाम श्री. ग्याली देवी *

दावा बाबत ईस्तराफ हक खं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 106 सन 2018

इह मुकदमा आज वारत इन्फिसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS

श्री. कामावता विजाणिया मिनजानिव मुद्दई रुबरु श्री. वसन्त कुमार

मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

ग्राम हमीपुरा जिला पटवा हल्का समरपुरा तहसील खण्डेला जिला
 क्रमि ख. नं. 58 जका 1.21 हे. में मृतका धापली देवी मामाज
 नाम दर्ज हिस्सा 120/121 का बाकी को खातेदार काश्तकार घोषित
 जाकर अत हिस्से से मृतका धापली देवी मामाज का नाम *

स मुकदमें के मय सूद वशरह फीसदी लागूना आज की तारीख से
 अदायगी तक का अदा करें।
 वास्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 07 सन 2019 को
 हो गई।



दस्तखत श्री. महीपाल सिंह RAS
 सहायक कलेक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
ना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
शरिक					

मीजान

मीजान

1528

29.8

* दत्तक पुत्र मामराज जाति ब्राह्मण निवासी केचनपुर
तहसील श्रीमधौपुर जिला सीकर (राज.)

-वादी

बिलड

* पुत्री धापली

② विदानी पुत्री धापली

③ गीता देवी पुत्री धापली

जाति ब्राह्मण निवासी केचनपुर तहसील श्रीमधौपुर
जिला सीकर (राज.)

④ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.)

-प्रतिवादीभाषण

* हजफ किया जाता हैं। तहसीलदार खण्डेला अक्त वर्णित
भूमि पर जमा योग्य राजस्व शुल्क / हक त्याग शुल्क
राजकीय में जमा ली जाकर अक्त ब्रह्मराज राजस्व रेकोर्ड
में अमल दामद किया जाना सुनिश्चित करें।



25/07/19
(मधीपाल सिंह) RAS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला